



सं०सं० : 15/एस-03(से०वि०)-01/2014.....1337/8
झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग



संकल्प

पदस्थापन की प्रतीक्षा अथवा अन्य कारणों से उत्पन्न प्रभार रहित अवधि को अल्पतम/विनियमित करने के संबंध में।

वित्त विभागीय पत्र संख्या 3622/वि०, दिनांक 17.06.1998 में स्पष्ट किया गया है कि

बिना कोई काम या सेवा (सर्विस) लिए वेतनादि के मद से भुगतान करना गंभीर वित्तीय अनियमितता है और इस पर पूर्णतया पाबंदी लगाना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी कीमत पर यह अवधि पन्द्रह दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक होने की स्थिति में जिम्मेवारी का निर्धारण कर दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति के वेतन से भुगतये राशि काटी जानी है।

2. वित्त विभागीय पत्र संख्या 40/वि०, दिनांक 07.01.2011 द्वारा अपरिहार्य कारणों से प्रभार रहित अवधि उत्पन्न होने पर की जाने वाली कारवाइयों से संबंधित विस्तृत निदेश दिये गये हैं। पुनः वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3445/वि०, दिनांक 26.09.2014 के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा एवं अन्य कारणों से उत्पन्न प्रभार रहित अवधि को अल्पतम करने तथा किसी भी परिस्थिति में बिना कोई कार्य या सेवा लिए सरकारी कोषागार से बतौर वेतन अथवा अन्य कोई भुगतान नहीं हो, इस हेतु विस्तृत निदेश दिए गए हैं। साथ ही कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 10439 (अनु.) दिनांक 08.12.2016 द्वारा मुख्य सचिव ने भी पदस्थापन हेतु प्रतीक्षा में रहने वाले सभी सेवकों/संवर्गों के पदाधिकारियों को विभाग में योगदान या योगदान हेतु सरकार के आदेश के उपरांत तीन (03) दिनों के अन्दर पदस्थापन के प्रस्ताव पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। कालान्तर में प्रक्रिया को सरल करने तथा विभागों को और अधिक शक्तियाँ प्रत्योजित करने के उद्देश्य से वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3445/वि०, दिनांक 26.09.2014 की कंडिका-6 एवं 7 में लिए गए निर्णय को विलोपित कर विभागों को अतिरिक्त शक्तियाँ भी प्रत्योजित किया गया। परन्तु, पदस्थापन में विलम्ब अथवा अन्य किसी न किसी कारणवश कर्मियों/पदाधिकारियों के अनिवार्य प्रतीक्षा में रहने के मामलों में कोई विशेष कमी नहीं आई है।

3. प्रभार रहित अवधि उत्पन्न होने के प्रमुख कारण निम्न है :-

- स्थापना समिति में स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के क्रम में अन्तर होना यथा सभी स्थानान्तरित, प्रतीक्षारत का समुचित रिक्त स्थान पर पदस्थापित नहीं करना।
- बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त किए अवकाश में जाना एवं सरकार के आदेशों के विरुद्ध Protest स्वरूप पदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं करना।
- बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति के अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान करना।
- बिना सूचना के Health ground पर अवकाश पर प्रस्थान करना।

(v) स्थापना समिति की नियमित बैठक नहीं होना।

(vi) स्थापना समिति की अनुशंसा पर अन्तिम निर्णय नहीं होना।

4. प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि वित्त विभाग के द्वारा पूर्व में पदस्थापन की प्रतीक्षा अथवा अन्य कारणों से उत्पन्न प्रभार रहित अवधि को अल्पतम करने तथा प्रभार रहित अवधि का विनियमन करने के संबंध में निर्गत संकल्पों/परिपत्रों का दृढ़ता से अनुपालन नहीं होने के कारण काफी लम्बी अवधि के लिए कर्मियों/पदाधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहना पड़ता है, जिसमें संबंधित का कोई दोष भी नहीं होता है। काफी लम्बे समय तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहने वाले कर्मियों/पदाधिकारियों को उक्त अवधि में वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण संबंधित को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आश्रित/आश्रितों के भरण-पोषण में भी काफी कठिनाई होती है।

5. लम्बे समय तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहनेवाले कर्मी/पदाधिकारी का पदस्थापन किये जाने के पश्चात् उस अवधि का विनियमन करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के क्रम में अन्तर्विभागीय सहमति लेनी होती है, जिसमें विलम्ब की संभावना बनी रहती है तथा कतिपय कर्मी/पदाधिकारी द्वारा उक्त अवधि का वेतन भुगतान के लिए न्यायालय के शरण में जाना पड़ता है। जबकि केन्द्र सरकार में Central Staffing Scheme के अंतर्गत अनिवार्य प्रतीक्षा में रहने वाले कर्मी/पदाधिकारी को उनके नियमित पदस्थापन होने तक की अवधि के दौरान उनसे कार्य लिए जाने का तथा संदर्भित अवधि में वेतन दिये जाने का भी प्रावधान किया गया है।

6. अतः सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा सभी पहलूओं के दृष्टिपथ पदस्थापन की प्रतीक्षा अथवा अन्य कारणों से उत्पन्न प्रभार रहित अवधि को अल्पतम/विनियमित करने हेतु विभागों के स्तर से निम्नरूपेण कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

- (i) किसी कर्मी/पदाधिकारी के विभाग में योगदान के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित स्थापना प्रभारी द्वारा पदस्थापन हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी। ससमय कार्रवाई की जवाबदेही संबंधित स्थापना प्रभारी की होगी।
- (ii) स्थापना प्रभारी के प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा स्थापना समिति की बैठक कर, सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करते हुए पदस्थापन संबंधी आदेश निर्गत किया जायेगा। यथासम्भव यह कार्य किसी कर्मी/पदाधिकारी के विभाग में योगदान के 15 दिनों के भीतर सम्पन्न किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह समय एक माह से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (iii) एक माह से अधिक समय से प्रतीक्षारत कर्मियों/पदाधिकारियों की समीक्षा प्रत्येक माह विभाग स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा की जायेगी तथा उक्त समीक्षा बैठक से विभागीय मंत्री को अवगत कराया जायेगा। एक माह से अधिक समय



से प्रतीक्षारत कर्मियों/पदाधिकारियों के पदस्थापन प्रस्ताव पर कारण अंकित करते हुए सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमित पदस्थापन किया जायेगा।

- (iv) पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि का विनियमन संबंधित कर्मों/पदाधिकारी के नियमित पदस्थापन संबंधी अधिसूचना के साथ ही प्रशासी विभाग के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए वित्त विभाग से सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- (v) विभागों के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि में रहने वाले कर्मों/पदाधिकारी से अपने विभाग अंतर्गत आवश्यकतानुसार कार्य लिया जायेगा।

7. वैसे कर्मों/पदाधिकारी जिनके पदस्थापन में विलम्ब होता है, उनके पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान विभागों/निदेशालय/अन्य कार्यालय के स्तर से निम्नरूपेण किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

- (i) जिन विभागों में कर्मों/पदाधिकारी पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत हैं, उन कर्मों/पदाधिकारी के वेतन निकासी हेतु सर्वप्रथम स्थापना प्रभारी द्वारा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव से आदेश प्राप्त कर Compulsory Wait Certificate (अनिवार्य प्रतीक्षा प्रमाण-पत्र) निर्गत किया जायेगा।
- (ii) पदस्थापन हेतु अनिवार्य रूप से प्रतीक्षारत अवधि के दौरान संबंधित कर्मों/पदाधिकारी का वित्त विभाग अन्तर्गत Project Management Unit (PMU) कोषांग के द्वारा अलग विपत्र (Bill) तैयार करने हेतु एक Interface का प्रावधान DDO Level Bill Entry में किया जायेगा।
- (iii) विपत्र तैयार करना -
 - (a) जिन विभागों में कर्मों/पदाधिकारी पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत हैं, उन कर्मों/पदाधिकारी के वेतन के भुगतान हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) द्वारा अलग विपत्र (Bill) तैयार कर संबंधित कोषागार को भेजा जायेगा।
 - (b) पदस्थापन हेतु अनिवार्य रूप से प्रतीक्षारत अवधि के दौरान संबंधित कर्मों/पदाधिकारी को अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र (LPC) के आधार पर वेतन (Basic+DA+HRA+MA) का भुगतान किया जायेगा।
 - (c) पदस्थापन हेतु अनिवार्य रूप से प्रतीक्षारत अवधि के दौरान संबंधित कर्मों/पदाधिकारी को परिवहन भत्ता नियमानुसार विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार देय होगा। अपितु संदर्भित कर्मों/पदाधिकारी से कार्य नहीं लिये जाने की स्थिति में संबंधित कर्मों/पदाधिकारी को परिवहन भत्ता का भुगतान नहीं किया जायेगा।



- (d) उक्त के आधार पर संबंधित कर्मी/पदाधिकारी को वेतन भुगतान किये जाने पर अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र (LPC) के आधार पर संबंधित कर्मी/पदाधिकारी के वेतन से आवश्यक कटौती यथा- GPF, CPF, GLI, Income Tax, Recovery इत्यादि की जायेगी एवं संबंधित शीर्ष में राशि जमा की जायेगी।
- (iv) जिन कर्मी/पदाधिकारी का पदस्थापन विभाग द्वारा किया जाना है, उनका वेतन भुगतान विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) द्वारा Compulsory Wait Certificate (अनिवार्य प्रतीक्षा प्रमाण-पत्र) के आधार पर किया जायेगा। पदस्थापन हेतु अनिवार्य रूप से प्रतीक्षारत कर्मी/पदाधिकारी का उसी शीर्ष से वेतन भुगतान किया जायेगा, जिस शीर्ष से वहाँ पदस्थापित कर्मी/पदाधिकारी का वेतन भुगतान किया जाता है।
- (v) जिन कर्मी/पदाधिकारी का पदस्थापन निदेशालय/अन्य कार्यालय द्वारा किया जाता है, वैसे कर्मी/पदाधिकारी का वेतन भुगतान विभागीय स्थापना प्रभारी के द्वारा निर्गत Compulsory Wait Certificate (अनिवार्य प्रतीक्षा प्रमाण-पत्र) के आधार पर निदेशालय/अन्य कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। पदस्थापन हेतु अनिवार्य रूप से प्रतीक्षारत कर्मियों/पदाधिकारियों का वेतन का भुगतान उसी शीर्ष से किया जायेगा, जिस शीर्ष से अन्य समेकित कर्मी/पदाधिकारी का वेतन भुगतान किया जाता है।
- (vi) उक्त क्रमांक (iv) एवं (v) के आलोक में जिन कर्मी/पदाधिकारी का पदस्थापन विभाग/निदेशालय/अन्य कार्यालय द्वारा पदस्थापन किया जाता है, वैसे कर्मी/पदाधिकारी के पदस्थापन हेतु प्रतीक्षा अवधि के दौरान वेतन का भुगतान संबंधित कर्मी/पदाधिकारी के सम्वर्ग/सेवा के अधीन स्वीकृत बल के अन्तर्गत किया जायेगा।
- (vii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) द्वारा संबंधित कोषागार में उपस्थापित विपत्र के साथ Compulsory Wait Certificate (अनिवार्य प्रतीक्षा प्रमाण-पत्र) एवं LPC की प्रमाणित प्रति संलग्न कर कोषागार में भेजा जायेगा, जिसकी सम्यक् जाँच कर संबंधित कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित किया जायेगा।
- (viii) यदि किसी विभाग/विभागाध्यक्ष/निदेशालय/अन्य कार्यालय को पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षारत अवधि में रहने वाले कर्मी/पदाधिकारी का वेतन देने हेतु वेतन शीर्ष में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो, तो संबंधित विभाग इसके लिए वेतन से संबंधित शीर्ष अन्तर्गत अनुपूरक के माध्यम से राशि प्राप्त कर सकते हैं।
- (ix) विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक/विभागाध्यक्ष, जिनके अन्तर्गत पदस्थापन हेतु अनिवार्य रूप से प्रतीक्षारत कर्मी/पदाधिकारी के द्वारा योगदान दे दिया गया है, उनसे वो आवश्यकतानुसार कार्य ले सकते हैं और उनके आदेशानुसार

कार्यालय अथवा उनके द्वारा आदेशित स्थान पर कार्य किया जाएगा। वे विभाग/विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और अपना उपस्थिति विवरणी बनाएंगे। यदि किसी कर्मी/पदाधिकारी को कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करने का आदेश नहीं दिया गया है, तो वैसी स्थिति में वे कार्यालय नहीं आकर दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे, ताकि किसी भी समय आवश्यकता होने पर उनको कार्यालय में बुलाया जा सकेगा।

8. संबंधित विभाग के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षारत अविधि के मामलों को त्रै-मासिक अवधि में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आहूत कर संज्ञान में लाया जायेगा। तदोपरांत मुख्य सचिव के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा (Waiting for Posting) से संबंधित लंबित मामलों को मुख्य मंत्री के संज्ञान में लाया जायेगा।

9. प्रशासी विभाग के द्वारा किसी कर्मी/पदाधिकारी का पदस्थापन करने के पश्चात् संबंधित कर्मी/पदाधिकारी के द्वारा पदस्थापित पद/स्थान पर योगदान/प्रभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो वैसे मामलों में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 265 के अंतर्गत संबंधित कर्मी/पदाधिकारी वेतन के अधिकारी नहीं माने जायेंगे तथा उनके वेतन का भुगतान प्रशासी विभाग के द्वारा नहीं किया जायेगा। वेतन का पुनः भुगतान वित्त विभाग के द्वारा अविनियमित अवधि के विनियमन संबंधी प्रस्ताव पर सहमति के उपरांत किया जायेगा।

10. पूर्व से स्वीकृत लम्बी छुट्टी अथवा प्रशिक्षण में रहने वाले कर्मी/पदाधिकारी के मामले में उनके योगदान करने की संभावित तिथि से एक माह (30 दिन) पूर्व से ही पदस्थापन की कार्रवाई शुरू कर दी जाय और उनके योगदान करने की संभावित तिथि से 07 (सात) दिन पूर्व पदस्थापन आदेश निर्गत कर दिया जाय।

11. जहाँ पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के साथ अन्य मामले भी सन्निहित हो यथा—असाधारण अवकाश, उपार्जित अवकाश, पदग्रहण काल इत्यादि, वैसे मामलों में कर्मी/पदाधिकारी के पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि में कार्रवाई कंडिका-7 के अनुरूप किया जायेगा एवं पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के साथ सन्निहित अवकाश, पदग्रहण काल इत्यादि के मामले में सक्षम स्तर से सहमति के उपरान्त ही प्रशासी विभाग के द्वारा अलग से विनियमन आदेश निर्गत किया जायेगा।

12. प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति के फलस्वरूप संकल्प निर्गत किये जाने के उपरांत के मामलों में ही संदर्भित प्रावधान प्रभावी होंगे तथा संकल्प निर्गत होने के पूर्व के मामले का निष्पादन वित्त विभाग के द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्पों/परिपत्रों के आधार पर किया जायेगा।

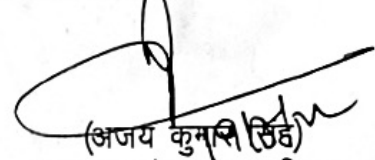
13. संकल्प निर्गत होने की तिथि के उपरांत के मामलों में पदस्थापन की प्रतीक्षा अथवा अन्य कारणों से उत्पन्न प्रभार रहित अवधि को अल्पतम/विनियमित करने के संबंध में वित्त विभाग के द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्पों/परिपत्रों को विलोपित समझा जायेगा।



14. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1217/वि० दिनांक 10.05.2022 के क्रम में दिनांक 11.05.2022 की बैठक के मद सं० 14 में दी गई है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 15/एस-03(से०वि०)-01/2014...1337/वि०

राँची, दिनांक 20/05/2022

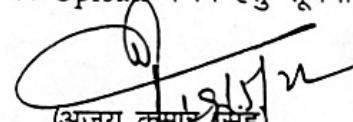
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 15/एस-03(से०वि०)-01/2014...1337/वि०

राँची, दिनांक 20/05/2022

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी, झारखंड/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड/प्रभारी, पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड को विभागीय Website पर Upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 15/एस-03(से०वि०)-01/2014...1337/वि०

राँची, दिनांक 20/05/2022

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके e-गजट के रूप में वित्त प्रशाखा-15 को सूचना उपलब्ध करावें।


(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।